



पत्रांक:.....

दिनांक:.....

## छात्रवृत्ति विभाग

### सूचना

सच्चिदानन्द सिन्हा महाविद्यालय से इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2021 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद में वांछित कागजात सहित अतिशीघ्र सम्पर्क करें।

इन्टर प्रथम श्रेणी-21 से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं को आवेदन-पत्र के साथ सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति को प्राचार्य से अभिप्रमाणित करा कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद में जमा करें साथ ही सभी Original Documents अपने साथ सत्यापन हेतु अवश्य ले जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।

1. आवेदन पत्र में एक फोटो के साथ।
2. छात्रा का इन्टर प्रथम श्रेणी-2021 का अंकपत्र की छायाप्रति।
3. छात्रा का इन्टर प्रथम श्रेणी-2021 का प्रवेशपत्र की छायाप्रति।
4. छात्रा का बैंक खाता (IFSC Code) के साथ छायाप्रति साफ-साफ अंकित होना चाहिए।
5. छात्रा का आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. छात्रा का मोबाईल नम्बर।
7. छात्रा का आवासीय प्रमाण-पत्र।

  
प्रधानाचार्य PAL

एस्.सिन्हा  
SINHA COLLEGE  
AUNGMYE (BIHAR)

# जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद।

वर्ष 2021 में इन्टर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र।  
(छात्रा द्वारा केवल English में Capital Letter में भरा जायेगा)

1-छात्रा का नाम:-	प्राचार्य/प्रध्यानाध्यापक द्वारा अभिप्रमाणित छात्रा का फोटो
2-जन्म तिथि:-	
3-माता का नाम:-	
4-पता:-	
5-पिता का नाम:-	
6-जाति:-	
7-परीक्षा :-इन्टर प्रथम श्रेणी-2021	
8-उत्तीर्णता का वर्ष:-	
9-विद्यालय का नाम :-	
10-रौल नम्बर:-	
11-विद्यालय का रौल कोड:-	
12-छात्रा का आधार नम्बर:-	
13-छात्रा का मोबाईल नम्बर:-	
14-बैंक का नाम:-	
15-छात्रा का खाता संख्या:-	
16-छात्रा का बैंक ब्रांच का IFSC CODE:-	

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कागजात :-

1-अंक पत्र, 2-प्रवेश पत्र, 3- बैंक पासबुक की छायाप्रति(खाता संख्या एवं IFSC CODE), 4-आधार कार्ड, 5- आवासीय प्रमाण-पत्र।

नोट:- सभी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति को प्राचार्य/प्रध्यानाध्यापक से अभिप्रमाणित कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद में छात्रा द्वारा जमा किया जाना है और साथ में सभी Original Document अपने साथ सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है।

प्राचार्य/प्रध्यानाध्यापक  
का हस्ताक्षर एवं मुहर

छात्रा का हस्ताक्षर